समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश–2016

प्रत्येक वर्ष एक माह तक आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि सिंहेश्वर मेला इस वर्ष **दिनांक 07–03–2016** से प्रारम्भ होकर एक माह तक चलेगा। इस अवधि के दौरान ही दिनांक 08 से 10 मार्च, 2016 को पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के सौजन्य से सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, फलस्वरूप सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला में शांति–व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति वांछनीय है। वर्णित स्थिति में सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 90/गो0 दिनांक 03–03–2016 से प्राप्त पूर्वाभाष प्रतिवेदन के आधार पर **परिशिष्ट–"क"** के अनुसार सशस्त्र बल, पुलिस पदाधिकारी एवं प्रभारी दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

पिछले दिनों जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में कतिपय वामपंथी विचारधारा को छात्रों के द्वारा कश्मीर की तथाकथित आजादी को लेकर अलगाववादी नारे लगाए गए जिसका विरोध राष्ट्रवादी छात्र संगठनों के द्वारा किया गया। यह विषय समाचार पत्रों तथा न्यूज चैनलों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा भिन्न–भिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों के द्वारा इस विषय पर टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया दी गई। जे0एन0यू0 के छात्र नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी देशद्रोह के कांड में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। यद्यपि इस प्रकरण का बिहार राज्य पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है तथापि इस प्रकरण में उमर खालिद की संलिप्तता तथा देश द्रोह का मुद्दा होने के कारण कतिपय व्यक्तियों के द्वारा इसे साम्प्रदायिक स्वरूप दिये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर शरारती तत्वों के द्वारा धार्मिक आधार बनाते हुए टिप्पणिया की जा रही हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इस दृष्टिकोण से सतर्कता अपेक्षित है।

पिछले दिनों **भारत वर्ष के पंजाब प्रान्त में आंतकवादी संगठनों के द्वारा की गई विध्वसंक कार्रवाई, आई0एस0आई0एस0, जैश–ए–मोहम्मद तथा अन्य आंतकी संगठनों के मुखर होने,** बदलते वैश्विक परिवेश तथा धार्मिक कट्टरपंथियों की महत्वाकांक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की आतंकी घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे बिहार राज्य में जुलूस में डी0जे0 बजाने, मस्जिदों के सामने से विसर्जन जुलूस गुजरने, अश्लील गीतों पर जुलूस में नृत्य करने तथा धार्मिक उन्माद वाले नारे लगाए जाने के कारण कई स्थानों पर तनाव तथा विधि–व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाले जाने वाली झांकियों तथा शोभा यात्रा के मार्ग को पूर्व से निर्धारित करते हुए अनुज्ञप्ति जारी किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा बिहार पुलिस अधिनियम 207 की धारा 66 एवं बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 23 के अन्तर्गत वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(1) मेले में विधि–व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार :–

सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला, 2016 के अवसर पर विधि–व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा रहेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन दायित्वपूर्ण ढंग से तत्परता के साथ करें तथा किसी दण्डाधिकारी /पुलिस बल की अनुपस्थिति में वैकल्पिक प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करते हुए उसकी सूचना देंगे।

(2) वरीय प्रभारी :-

सिंहेश्वर मेला के वरीय प्रभारी के रूप में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा (मोबाईल नं0-9431818377) की प्रतिनियुक्ति की जाती है। वे मेला परिसर की सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था को सामान्य एवं शांतिपूर्ण बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे तथा मेला अवधि में श्रद्धालुओं /दर्शकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(3) मेला दण्डाधिकारी :-

➢ सिंहेश्वर महाशिवरात्रि मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था को संधारित करने /एकत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से **श्री अरूण कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा (मोबाईल नं0-8544429937)** की प्रतिनियुक्ति मेला दण्डाधिकारी के रूप में की जाती है, जो मेला परिसर की सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था को सामान्य एवं शांतिपूर्ण बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों की उपस्थिति एवं कर्त्तव्य निर्वहन का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इनके सहयोग में **श्री मुकेश रंजन, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा (मोबाईल नं0-8986170145)** की प्रतिनियुक्ति प्रभारी दण्डाधिकारी -सह- सहायक मेला दण्डाधिकारी के रूप में की जाती है।

➢ मेला दण्डाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मेला नियंत्रण कक्ष निर्बाध गति से 24 घंटा कार्यरत रहे। मेला नियंत्रण कक्ष में आवश्यक कर्मियों /पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

➢ मेला दण्डाधिकारी प्रतिदिन यह जांच भी करेंगे कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अपने-अपने आवंटित स्थान /क्षेत्र में उपस्थित हैं अथवा नहीं। अनुपस्थित दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों की सूचना प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी द्वय (जिला दण्डाधिकारी /पुलिस अधीक्षक) को देना सुनिश्चित करेंगे।

➢ मेला दण्डाधिकारी, मेला नियंत्रण कक्ष में शिकायत पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आगंतुक /श्रद्धालुगण /दुकानदार को होने वाले शिकायतों का निपटारा करेंगे।

➢ मेला दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वाहन **श्री मुकेश रंजन, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा (मोबाईल नं0-8986170145)** प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी -सह- सहायक मेला दण्डाधिकारी करेंगे।

(4) **Crowd Management /भीड़ प्रबंधन** :- महाशिवरात्रि की तिथि एवं अन्य तिथियों को श्रद्धालुओं द्वारा बाबा सिंहेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करने की परम्परा रही है। काफी संख्या में श्रद्धालुओं विशेषकर महिला श्रद्धालुओं के आगमन से मंदिर परिसर एवं आस-पास का क्षेत्र विधि-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील हो जाता है। भीड़ नियंत्रण हेतु निम्नांकित सभी कार्रवाई किया जाना है -

➢ भीड़ कुप्रबंधन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक परिसरों को निशाना बनाये जाने के खतरों से निपटने हेतु विधि-व्यवस्था संधारण कार्य में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल को कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है।

- सिंहेश्वर मंदिर में जलाभिषेक हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में अपेक्षाकृत महिलाओं तथा 7-10 वर्ष के बच्चों से लेकर 45-50 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक होगी, जिसका एक मात्र उद्देश्य देवाधिदेव का जलाभिषेक करने के पश्चात् अपने-अपने घर लौटना होगा।

• मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु पृथक-पृथक प्रवेश तथा निकास द्वार बनाये गये हैं, जिसका उद्देश्य एक्सेश कन्ट्रोल हैं। हाथी गेट से लेकर मंदिर परिसर के गेट तक भीड़ का मकसद मंदिर परिसर में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। यह पथ सकरा है तथा फुट-पाथ पर भी दुकानें लगी रहती है तथा भीड़ के धक्का-मुक्की करने की स्थिति में दुर्घटना की आंशका हो सकती है।

इस मार्ग को सुगम बनाना होगा तथा नालियों की साफ-सफाई (ट्रस्ट कार्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा) की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही मंदिर प्रवेश के समय अत्यधिक भीड़ की स्थिति में उक्त मार्ग के दो-तीन स्थान पर कन्ट्रोल प्वाईंट स्थापित कर भीड़ को कुछ समय के लिए रोकना (Hold) तथा आगे रास्ता क्लीयर होने पर भीड़ को निकालना (Realese) होगा।

• मंदिर परिसर पहुंचने पर भीड़ का उद्देश्य शिव गंगा या मंदिर प्रांगण स्थित दोनों कुंओं से जल प्राप्त करना होगा। शिव गंगा के घाटों पर फिसलन के कारण श्रद्धालुओं के पानी में गिरने की आशंका तथा शिवगंगा में स्नान हेतु अधिक गहराई में जाने पर डूबने की आशंका बनी रहेगी।

इसके लिए श्रद्धालुओं को जल लेने हेतु घाट में एक ही स्थान पर जमा नहीं होने दिया जायेगा, बल्कि घाट के सम्पूर्ण लम्बाई में भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जायेगा। शिवगंगा में प्लास्टिक की रस्सी की सहायता से एक वाटर लाईन बनाया जायेगा, जिसके पार डेंजर जोन होगा। अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर लाईफ जैकेट के साथ स्थानीय गोताखोरों को भीड़ वाले दिन प्रतिनियुक्त करेंगे।

• मंदिर परिसर स्थित कुएं पर भी भीड़ नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी, ताकि कुएं में एवं कुएं के पास गिरने की संभावना नहीं बन पाये।

• गर्भगृह के द्वार पर जलाभिषेक के लिए खड़ी भीड़ को भी उपरोक्त वर्णित Hold and Realese तरीके से गर्भगृह में जाने दिया जायेगा। महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग क्यू होगा। भीड़ में छोटे बच्चें तथा वृद्धों की संख्या अत्यधिक होने पर उनके लिए भी अलग क्यू का निर्माण किया जा सकता है।

• गर्भगृह के अन्दर जाने वाले भीड़ का मकसद महादेव के सानिध्य में ज्यादा क्षण व्यतीत करने का होगा। गर्भगृह की क्षमतानुसार तथा जलाभिषेक करने में लगने वाले औसत समय के अनुसार गर्भगृह में प्रवेश हेतु लोगों की संख्या तथा अंदर रहने के समय का निर्धारण किया जायेगा।

• पूजा-अर्चना /जलाभिषेक के बाद निकास मार्ग से ही श्रद्धालुओं को बाहर जाने दिया जायेगा।

• भीड़ को नियंत्रित करने हेतु भीड़ पर सदैव निगरानी रखी जाए तथा बल प्रयोग के स्थान पर Tactfull नीति का प्रयोग किया जाए। अनुशासन का पालन नहीं करने वाले श्रद्धालुओं को तुरंत भीड़ से अलग किया जाए तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

• मंदिर में प्रवेश हेतु मुख्य मार्ग तथा सम्पूर्ण मंदिर परिसर में बिजली के कनेक्शन की जांच कनीय अभियंता, सिंहेश्वर /मधेपुरा द्वारा करवाना कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे।

• मिलावटी खाद्य पदार्थो की जांच खाद्य निरीक्षक, मधेपुरा द्वारा की जाएगी।

• मंदिर परिसर तथा सिंहेश्वर मुख्य बाजार में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस दाधिकारी /पुलिस बल का दायित्व होगा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें। किसी व्यक्ति के